UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2860 /18mg दिनांकः–27/12/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1271/FP/UK/ROAD/8248/2014 दिनांक 14.11.2019 एवं आन लाईन ई0डी0एस0 दिनांक 05.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो कि आपके कार्यालय तथा इस कार्यालय को सम्बोधित है, का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र में अंकित बिन्दु सं0–1 पार्ट–2 एवं पार्ट–3 के मूल प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जबकि उक्त प्रपत्र आपके विभाग से ही उपलब्ध कराये जाते हैं। यह प्रपत्र खण्ड के अन्तर्गत मूल में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इसकी सूचना भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी देहरादून को खण्ड स्तर से प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पत्र में वर्णित बिन्दु सं0 2 की आख्या आन लाईन पार्ट–2 में आपके स्तर से अंकित कर प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार पूर्ण सूचना मूल प्रतियों में आन लाईन/ आफ लाईन यथाशीघ्र इस कार्यालय अथवा उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

संलग्न :- भाग - II एवं III की छाया प्रतियां - 3 नं0

भवदीय

27/12/19

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– / दिनांकः–

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल ।

Online EDS 5/12/019

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—1271 / PF/UK/ ROAD/8248/2014 :देहरादूनःदिनांकः 15 नवम्बर, 2019

सेवा में,

1—प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल ।

2—अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

विषयः—जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली—पिठौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल का पत्रांक 2401/18 एम0जी0 दिनांक 31—10—2019,

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल उपरोक्त विषयक पत्र जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 11—10—2019 के अनुपालन में सूचना प्रेषित की गई है। उपलब्ध करायी गई सूचना अपूर्ण है। भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या— 1 के कम में उपलब्ध प्रपत्र मूल (II व III) में न होकर छायाप्रति में प्रेषित किये गये हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा उक्त प्रपत्रों को मूल में उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या—2 की सूचना ऑन लाईन/आफलाईन उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्ण सूचना मूल प्रतियों ऑनलाईन/ऑफलाईन यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(ए0के0 गुप्ता
वन संरक्षक

संख्या—1271 / PF/UK/ ROAD/19915/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—जिलाधिकारी, जनपद—नैनीताल।

2—वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त, नैनीताल।

(ए0के0 गुप्ता
वन संरक्षक

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 11/10/2019

फाईल संख्या: 8बी./यू.सी.पी./06/91/2018/एफ.सी./1575

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद – नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठाली सम्पर्क मोटर मार्ग हेतु 1.19 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(FP/UK/ROAD/8248/2014)**

सन्दर्भ:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **833/FP/UK/ ROAD/8248/2014 दिनांक 23-09-2019**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 29/05/2019 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:

1- In reply to point No. 01, State Government submitted that the copy of Part II, III and IV is enclosed but the same not found with the letter. State Government may submit the original copy of Part II, III and IV of the proposal.
2- In reply to point No. 02, details of 217 trees still not corrected at para-4, Part II. State Government may ensure that the correct detail of the trees is provided at para4, Part II online.
3- In reply to point No. 03 & 04, justification of the requirement of the road seems not satisfactory as the village is already on the road. State Government may submit clarification in this regard.
4- ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुडा हुआ है। अतः 7 मी0 चौड़े एक अन्य मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। राज्य शासन वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करें तथा आवश्यकतानुसार वन मार्ग को उपलब्ध चौडाई में पक्का किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.FP/ Uk /Road /8248 /2014

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.FP/ Uk /Road /8248 /2014 — दरमोली –पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – दरमोली –पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	नैनीताल
iii)	वन प्रभाग	नैनीताल वन प्रभाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	1.19 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	व.प..तथा सिविल सो0
vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध मे एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	वृक्षों की सूची संलग्न हैं ।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू–वैज्ञानिक रिपोट संलग्न हैं ।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की	वन सीमा से 1 किमी0 दूरी
x)	वन की सीमा से अनुमानित दूरी	
xi)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नही
xii)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
xiii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही
8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	संलग्नक
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे है।	नही

10-- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-- सिविल एवं सोयम भूमि अधौडा

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस--पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू--खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू--खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू--खण्ड का आकार।	संलग्न है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस--पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	6.06 लाख
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण--पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।

11-- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्नक

12-- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	679400 है0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	402040 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	291 मामले 458.267 है0 जिसमें सि0सो0/व0प0भी सम्मलित हैं ।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	977.890 है0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	
	2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	929.542 है0
(क)	वन भूमि पर	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	

13-- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित ।

दिनांक 10-5-2018

स्थान ...

प्रभागीय वनाधिकारी

भाग–III

दरमीली, पिठाली – सर्म्पक मोटर का निर्माण
(हस्तान्तरण भूमि)
(प्रस्ताव संख्या FP/Uk/Road/8248/2014)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1- क्या वन स्थल जहॉ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिर्पोट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	हॉ प्रस्ताव के अनुरूप मार्ग की 2.00 किमी की लम्बाई तथा 7 मीटर चौड़ाई में बांज प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।
2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हॉ सहमत
3- विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है, कि यदि याचक / प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वृक्ष आदि किसी भी प्रजाति के प्रभावित होते है तो प्रत्यारोपण वृक्षों की लागत आदि का वहन स्वयं करेगा। अतः जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनॉक 04-06-2018
स्थान–नैनीताल

(डॉ तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

Scanned by CamScanner